



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ

धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन

संख्या - 342 / 2026

शोहराब

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य माध्यम से प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ

एवं अन्य

..... प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता

: आनंद प्रताप सिंह, अनूप कुमार उपाध्याय, स्कंद
बाजपेयी

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, अश्विनी कुमार त्रिपाठी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायालय संख्या - 13

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल किया गया प्रत्युत्तर शपथ पत्र और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल किया गया प्रति-शपथपत्र, अभिलेख (रिकॉर्ड) में लिया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख (रिकॉर्ड) में रखी सामग्री का अवलोकन किया।
3. यह वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन, आवेदक ने प्राथमिकी/वाद अपराध संख्या 374/2024, भारतीय न्याय संहिता की धारा 69, 64(1), 115(2), 351(3), 352 के अंतर्गत, थाना- नवाबगंज, जिला- गोंडा के संबंध में दायर की है।
4. दिनांक 20.02.2026 के आदेश के माध्यम से इस न्यायालय ने आवेदक के हितों की रक्षा की थी। दिनांक 20.02.2026 का आदेश, जिसका सन्दर्भ दिया गया है, इस तरह है :-

"1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना था अभिलेख (रिकॉर्ड) का अवलोकन किया।

2. यह वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन, आवेदक ने वाद अपराध संख्या 374/2024, भारतीय न्याय संहिता की धारा 69, 64(1), 115(2), 351(3), 352 के अंतर्गत, थाना- नवाबगंज, जिला- गोंडा के संबंध में दायर की है।

3. इस आवेदन पर जोर देते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि सूचना देनेवाली / प्रतिवादी संख्या 2 (जिसे आगे "अभियोक्ता/पीड़िता" कहा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जाएगा) ने दिनांक 05.11.2024 को लगभग 19.28 बजे थाना- नवाबगंज, जिला- गोंडा में एक प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसे वाद अपराध संख्या 0374/2024 के रूप में दर्ज किया गया। यह प्राथमिकी बबलू उर्फ अफजल, बादशाह उर्फ शोहराब (यहां आवेदक) और अयान के विरुद्ध दर्ज की गई थी।

4. यह भी कहा गया है कि सह-अभियुक्त यानी बबलू @ अफजल, आवेदक/शोहराब (जिसे प्राथमिकी में 'बादशाह @ शोहराब' बताया गया है) का सगा भाई है और सह-अभियुक्त/अयान, जैसा कि पूछे जाने पर बताया गया है, आवेदक का बेटा है।

5. यह भी कहा गया है कि प्राथमिकी देखने से पता चलता है कि अभियोक्ता/पीड़िता का सह-अभियुक्त/बबलू @ अफजल के साथ रिश्ता था तथा यह रिश्ता लगभग 7 साल पुराना था। प्राथमिकी से यह भी पता चलता है कि सह-अभियुक्त/बबलू @ अफजल ने शादी का झूठा बहाना बनाकर अभियोक्ता/पीड़िता के साथ कई मौकों पर शारीरिक संबंध बनाए।

6. यह भी कहा गया है कि प्राथमिकी को देखने से यह भी पता चलता है कि आवेदक/शोहराब और उसके बेटे यानी अयान को सिर्फ सह-अभियुक्त/बबलू @ अफजल पर दबाव बनाने के लिए फंसाया गया है, जो अभी भी सऊदी अरब में है ताकि वह दबाव में आकर सऊदी अरब से वापस आने के बाद अभियोक्ता/पीड़िता से शादी कर ले।

7. यह भी कहा गया है कि अभियोक्ता/पीड़िता ने आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है, सिवाय धारा 115(2), 352, 351(3) के अंतर्गत बताए गए अपराधों के, जो कि भारतीय दंड संहिता (अब रद्द) की धारा 323, 504, 506

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के समान हैं, जिसके संबंध में अभियोजन पक्ष के पास कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और अभियोक्ता/पीड़िता ने सलाह मिलने पर अन्वेषण के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज करते समय, आवेदक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) के अंतर्गत बताए गए अपराधों के आरोप लगाए हैं, जो कि भारतीय दंड संहिता (अब रद्द) की धारा 376 के समान है।

8. यह भी कहा गया है कि ऊपर दिए गए बयान के अनुसार अभियोक्ता/पीड़िता ने जब आवेदक, उसके बेटे तथा उसके सगे भाई के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई, तब उसके बाद आवेदक, अभियोक्ता/पीड़िता के घर पहुंचा तथा उसके साथ बलात्संग किया।

9. यह कहा गया है कि कोई भी समझदार व्यक्ति उस महिला के घर नहीं जाएगा, जिसने पहले ही उसके एवं उसके बेटे के विरुद्ध आरोप लगाए हैं।

10. यह भी कहा गया है कि अभियोक्ता/पीड़िता ने आवेदक के विरुद्ध जो कहानी बनाई है, वह पूरी तरह से मनगढ़ंत एवं झूठी है।

11. यह भी कहा गया है कि चिकित्सीय साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं करते हैं। इन परिस्थितियों में, आवेदक के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

12. मामले के ऊपर बताए गए तथ्यों एवं प्राथमिकी में बताई गयी आवेदक के विरुद्ध, अभियोजन पक्ष के मामले को देखते हुए तथा चिकित्सीय साक्ष्यों को देखते हुए, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक अंतरिम सुरक्षा का हकदार है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

13. इसलिए, एक अंतरिम उपाय के तौर पर यह प्रावधान किया जाता है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, अभियुक्त-आवेदक - शोहराब को ऊपर बताए गए आपराधिक वाद (उपरोक्त) में तुरंत अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाये, जिसके लिए उन्हें 25,000/- रूपए की निजी प्रतिभू तथा उतने ही रूपए के दो प्रतिभूओं (जिसमें एक परिवार का सदस्य/करीबी रिश्तेदार हो) को देना होगा, संबंधित थाने/न्यायालय के थानाध्यक्ष की संतुष्टि के अनुसार, इन शर्तों के साथ:-

- (i) कि अभियुक्त-आवेदक जब भी जरूरत हो, पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा तथा अन्वेषण में सहयोग करेगा;
- (ii) कि अभियुक्त-आवेदक, मामले के तथ्य से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई लालच, धमकी नहीं देगा या वादा नहीं करेगा, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य बताने से स्वयं को रोक ले; और
- (iii) कि अभियुक्त-आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

14. प्रतिवादी संख्या 2 को नोटिस जारी की जाए। इस संबंध में चार कार्य-दिवस के भीतर कदम उठाए जाएं।

15. थानाध्यक्ष, थाना - नवाबगंज, जिला- गोंडा के माध्यम से भी प्रतिवादी संख्या 2 को इस मामले के लंबित होने के बारे में सूचित किया जाए।

16. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश को तुरंत संबंधित थानाध्यक्ष को बताएं तथा संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

शिकायतकर्ता/पीड़िता को दी गई जानकारी का प्रमाण एक शपथ-पत्र के द्वारा तब पेश किया जाए जब वाद अगली बार सूचीबद्ध हो।

17. इस आवेदन को दिनांक 11.03.2026 को प्रथम 20 वाद में सूचीबद्ध करें/लगाएं।"

5. अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अभिलेख (रिकॉर्ड) से यह सिद्ध नहीं कर सके कि जमानत आवेदन में कोई भी ऐसा तथ्य है, जो विरोध में हो। इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार करते हुए पाया कि आवेदक को अग्रिम जमानत पर छोड़ा गया था। अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ऐसा कोई तथ्य भी नहीं बता सके जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सके कि आवेदक ने अन्वेषण की कार्यवाही या अन्यथा सहयोग नहीं किया है या कोई और ऐसा स्पष्ट तथ्य जो मामले के गुण-दोष पर बुरा असर डाल सकता है।
6. ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, मौजूदा अग्रिम जमानत आवेदन को **स्वीकृति** दी जाती है तथा आवेदक- **शोहराब** की अग्रिम जमानत को विचारण (ट्रायल) के निस्तारण तक, इन शर्तों के साथ बढ़ाया जाता है :-
- (i) कि आवेदक ज़रूरत पड़ने पर पुलिस अधिकारी से पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
- (ii) कि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से; मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई लालच, धमकी नहीं देगा या वादा नहीं करेगा, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य बताने से स्वयं को रोक ले या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- (iii) कि आवेदक, न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- (iv) कि आवेदक हर तय दिनांक पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो; और
- (v) कि आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/डराया नहीं करेगा।

7. अगर कोई चूक होती है, तो अन्वेषण करने वाली संस्था, इस आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन दे सकती है।

(न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

19 मार्च, 2026

प्रीति

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।